

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)/एस-628/86/अलेसे-III/199

दिनांक:- 26-5-17

कार्यमुक्ति आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 111/2016-17 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया गया था, किन्तु विभागीय उक्त आदेश की पालना में इनके द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थान स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है :-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	नाम कनिष्ठ लेखाकार	वर्तमान कार्यालय का नाम	नवीन पदस्थापन स्थान
1	1061	जगदीश नारायण	निदेशक, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, जोधपुर	प्राचार्य, डॉ सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जोधपुर

अतः उपरोक्तानुसार वर्णित कनिष्ठ लेखाकार को संदर्भित आदेश दिनांक 10.10.2016 की निरन्तरता में निदेशालय स्तर से तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे तुरन्त अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना दिनांक 26.05.2017 तक अविलम्ब फैंक्स अथवा विभागीय ई-मेल Jacct.dta@rajasthan.gov.in पर विभाग को भिजवावें। नवीन पदस्थापन स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर आपके विरुद्ध विभागीय आदेशों की अवहेलना के लिए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।


(पंकज प्रहरी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/एस-628/86/अलेसे-III/199

दिनांक:- 26-5-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) शासन सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित कर विभाग को सूचित करावें।
3. कोषाधिकारी, जोधपुर (शहर) को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेशों की पालना नहीं करने वाले कार्मिक का वेतन निर्धारित अवधि के पश्चात नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने से पूर्व आहरित नहीं किया जावे।
4. प्राचार्य, डॉ सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री जगदीश नारायण कनिष्ठ लेखाकार द्वारा आपके कार्यालय में कार्यग्रहण कर लिया है तो कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. श्री जगदीश नारायण कनिष्ठ लेखाकार को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थान स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब डाक/फैंक्स अथवा विभागीय ई-मेल Jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवावें।
7. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक सहोदय।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)